विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं. 6221/एडमिन. 'जी'–1/2019,इलाहाबाद दि.14.5.2019 एवं शासनादेश संख्या– 102/सात–न्याय –2– 2015–728/86 न्याय अनुभाग 2 अधीनस्थ न्यायालय लखनऊ , दिनांक 18 जून, 2015 के अनुसार प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

अर्हतायें

1. आयु :–	35 से 65 वर्ष
2. योग्यता–	स्नातक डिग्री–समाजशास्त्र./मनोविज्ञान एवं समाज सेवा का अनुभव/सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक एवं पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष के अनुभव धारक– को वरीयता ।
3. नियुक्ति	न्यायालय में संविदा के आधार पर होगी, न कि शासकीय।
4. अवधि–	तीन वर्ष– माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति पर पुर्नविचार योग्य।
5. वेतन–	शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय।

इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदनपत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों की छाया प्रति सहित दिनांक 25.6.2019 तक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय,बुलन्दशहर में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

15.6.19

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः–

1. केन्द्रीय नाजिर, जिला जजी बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय जिला जज , बार एसोसियेशन सिविल कोर्ट व बार एसोसियेशन कलैक्ट्रट बुलन्दशहर एवं बाह्य स्थित न्यायालय खुर्जा व अनूपशहर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

2. जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर को स्थानीय समाचारपत्र में

3. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग जिला जजी बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित हो कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायाधीश बुलन्दशहर व माननीय उच्च न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

पूर्व में प्रकाशन न कराने और न्यायालय के समक्ष आज जनसूचना अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 16.6.2019 को प्रकाशन कराने हेतु निवेदन करने पर आवेदन के लिये अग्रिम तिथि नियत करते हुए प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

15.6.19

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,बुलन्दशहर।